

राजस्थान-सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:- एफ.11(2)/गो./परिसीमन/2015-16

जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय:- जिलों में स्वीकृत/संचालित सैक्टरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय रागरांख्यक आदेश क्रमांक 101447 दिनांक 07.06.18 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के बिन्दु (ब) के उप बिन्दु-2 के संदर्भ में केन्द्रों का निर्धारण करने के उपरान्त प्रति 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक सैक्टर रखे जाने का मापदण्ड हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि आपके जिले में पूर्व में संचालित सैक्टरों की संख्या को यथावत रखते हुए उसी स्वीकृत/संचालित सैक्टर संख्या के अनुरूप कार्यवाही करावे।

-sel-

निदेशक,

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(2)/गो./परिसीमन/2015-16 116143-146

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

26-6-18

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।

4. एसोपी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।

अति. निदेशक, (आई)

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर